Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding the benefits of Kishan Fasal Bima Yojana not being availed by farmers.

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से आता हूं । किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ अभी भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है । बैंक और बीमा कम्पनियों द्वारा गलत डेटा अपलोड करने के कारण बहुत से किसानों को प्रीमियम जमा कराने के बाद भी नुकसान के हर्जाने के रूप में मिलने वाला लाभ अभी तक नहीं मिल सका है । वर्ष 2019 से 2020 तक किसान इस योजना से वंचित भी रह गए हैं ।

जिला हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में पीलीबंगा, सूरतगढ़ और श्रीकरणपुर में बहुत से किसान, जो नहरी और बरानी क्षेत्र है, उनका इंश्योरेंस कम्पनियों द्वारा गलत डेटा अंकित किया गया, जिसके कारण स्थानीय किसान फसल बीमा योजना के कल्याण से वंचित रह गए और पात्र होने के बावजूद भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है ।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश में राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा किसानों की बुवाई प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए । ऐसी स्थिति में वे प्रमाण पत्र जमा करवाने में असमर्थ हैं और यहां के किसान पात्र होने के बावजूद भी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूँगा कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को सही तरीके से मिले । धन्यवाद ।